

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3191-पीबीआर/2015 विरुद्ध आदेश दिनांक
05-08-2015 पारित. द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला
भोपाल, प्रकरण क्रमांक 104/अपील/2013-14.

.....
श्रीमती संगीता गोयल,
पत्नी श्री संजय गोयल,
निवासी 40 सेक्टर-1,
शक्ति नगर, भोपाल

..... आवेदिका

विरुद्ध

श्री आशुतोष राजवैद्य
आत्मज श्री आर०के०राजवैद्य
निवासी 215 रजत नगर बी०एच०ई०एल० एरिया,
भोपाल

..... अनावेदक



.....
श्री अतुल धारीवाल, अभिभाषक-आवेदिका

श्री एच०एल०झा, अभिभाषक-अनावेदक

.....
:: आ दे श ::


(आज दिनांक 3/12/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदिका द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे
आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय
अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल के द्वारा पारित आदेश दिनांक 05-08-2015
के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल के नामान्तरण प्रकरण क्रमांक 14/अ-6/05-06 में पारित आदेश दिनांक 28-1-2006 के विरुद्ध प्रथम अपील दिनांक 12-02-2014 को लगभग आठ वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई । चूँकि अपील अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई थी, इसलिये अनावेदक द्वारा अपील के साथ अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 104/अपील/2013-14 दर्ज कर दिनांक 05-08-2015 को अंतरिम आदेश पारित किया जाकर विलम्ब क्षमा करते हुये अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी अंतरिम आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक वर्ष 2006 में हुये आवेदक के पक्ष में नामान्तरण आदेश में हस्तक्षेप कर रहा है, जो कि अत्यधिक विलम्बित कार्यवाही है । यह भी कहा गया कि उभयपक्ष की पृथक पृथक भूमियाँ हैं और उनके कब्जे भी पृथक पृथक हैं, ऐसी स्थिति में अनावेदक द्वारा आवेदिका के नामान्तरण आदेश को निरस्त कराये जाने का प्रयास उचित कार्यवाही नहीं है । तर्क में यह भी कहा गया कि जिस सोसायटी द्वारा भूमि का विक्रय किया गया है, उसके पास आज भी 40 डिसमिल से अधिक भूमि है, परन्तु अनावेदक द्वारा आवेदिका का नामान्तरण आदेश निरस्त कराना चाहता है और सोसायटी से भूमि की माँग नहीं कर रहा है, जबकि उन्हें सोसायटी से भूमि की माँग करना चाहिये । अनुविभागीय अधिकारी को विलम्ब क्षमा करने में यह देखना चाहिये कि विलम्ब क्षमा करने का कोई कारण है अथवा नहीं, और प्रकरण प्रथमदृष्टया अनावेदक के पक्ष में है अथवा नहीं । चूँकि उभयपक्ष की भूमियाँ पृथक पृथक हैं, ऐसी स्थिति में आवेदक के पक्ष में हुये नामान्तरण से अनावेदक प्रभावित पक्षकार नहीं है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में पूर्णतः अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । वर्तमान में प्रकरण में आवेदिका के पक्ष में दो ग्रामों की भूमि पर नामान्तरण आदेश पारित किया गया है और अनावेदक द्वारा





केवल एक ग्राम की भूमि के संबंध में पारित नामान्तरण आदेश को चुनौती दी गई है, जो कि विधिसंगत कार्यवाही नहीं है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि वर्ष 2006 में आवेदिका का नामान्तरण हुआ है और वर्ष 2010 तक अनावेदक द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही उक्त नामान्तरण के विरुद्ध नहीं की गई है। यह भी कहा गया कि अनावेदक द्वारा तहसील न्यायालय में कभी भी नामान्तरण का कोई भी आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 109 व 110 के अन्तर्गत 6 माह की अवधि में अनावेदक को नामान्तरण कराना था, परन्तु उनके द्वारा वर्ष 1995 में भूमियाँ कय करने के पश्चात् 20 वर्ष बाद नामान्तरण की कार्यवाही की जा रही है, जो कि अत्यधिक विलम्बित कार्यवाही है। उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) अनावेदक ने प्रश्नाधीन भूमि दानिश गृह निर्माण सहकारी संस्था भोपाल से पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 23-09-1995 से कय की गई है, तब से अनावेदक प्रश्नाधीन भूमि का मालिक एवं स्वामी की हैसियत से काबिज होकर कृषि कार्य करता आ रहा है।

(2) आवेदिका का यह तर्क उचित नहीं है कि उभयपक्ष की भूमियाँ पृथक पृथक है, जबकि वास्तव में मौके पर नवीन सर्वे क्रमांक 3/1, 3/2 व 4/1 का ही विवाद है, जिसका अवैधानिक तरीके से आवेदक के पक्ष में नामान्तरण हो गया है। अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि दिनांक 23-9-1995 को कय की गई है, जबकि आवेदक द्वारा दिनांक 25-9-2009 को बाद में भूमि कय की गई है, इसलिये पूर्व क्रेता ही प्रश्नाधीन भूमि का मालिक व स्वामी होता है, ऐसी स्थिति में अनावेदक प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में हितबद्ध पक्षकार है।

(3) अनावेदक द्वारा नामान्तरण हेतु दिनांक 8-6-2009 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिस पर तहसीलदार द्वारा नामान्तरण आदेश पारित नहीं करते हुये





आवेदिका की ओर से दिनांक 10-7-2012 को प्रस्तुत आवेदन पर नामान्तरण आदेश पारित करने में पूर्णतः अवैधानिक कार्यवाही की गई है और नामान्तरण आदेश में विधिक प्रक्रिया का पालन भी नहीं किया गया है ।

(4) अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जब अनावेदक द्वारा दिनांक 8-6-2009 को नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था एवं प्रकरण के विचारण काल में ही दिनांक 10-3-2010 को आदेश पारित किया गया कि दानिश गृह निर्माण सहकारी समिति के भूमि के अन्तरण हेतु राष्ट्रीय सहकारी समिति की अनुमति अनिवार्य है और कलेक्टर द्वारा आदेशित किया गया कि आवेदिका अनुमति प्राप्त करें एवं कलेक्टर द्वारा बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के नामान्तरण पर रोक लगा दी गई, तब अनावेदक को तहसीलदार के आदेश की जानकारी हुई, और उसके द्वारा तत्काल आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त कर दिनांक 7-2-2014 को अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई, जो कि जानकारी के दिनांक से समय सीमा में थी । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण का गुणदोष के आधार पर निराकरण करने के लिये अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं की गई है ।

(5) यदि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण किया जाता है तो इससे आवेदिका को कोई हानि होना परिलक्षित नहीं होती है और आवेदक अपने पक्ष समर्थन व साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आवेदक के पक्ष में नामान्तरण पंजी पर नामान्तरण आदेश पारित किया गया है । नामान्तरण की कार्यवाही में विधिवत् इशतिहार का प्रकाशन भी नहीं किया गया है । तहसीलदार द्वारा विक्रेता समिति को न तो किसी प्रकार की सूचना दी गई है और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया है । यदि तहसीलदार विक्रेता समिति को






सुनवाई का अवसर देते तो स्थिति स्पष्ट हो जाती कि प्रश्नाधीन भूमि पर वास्तव में किसका स्वत्व है । अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि अनावेदक प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में प्रभावित पक्षकार है और उसका विक्रय पत्र पूर्व का है । इस कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील समय सीमा में मान्य करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, इसलिये उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल के द्वारा पारित आदेश दिनांक 05-08-2015 स्थिर रखा जाता है ।
निगरानी निरस्त की जाती है ।




(मनोज गोयब)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर